No. 2/4/2011-Adm.II
भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001
Telephone No. 23715507; FAX No. 23717519

Date : 24 NOV 2014

VACANCY CIRCULAR

Subject: **Filling up of the post of Director (Operation Monitoring) in the Ministry of Power in the scale of pay of ₹.14300-400-18300 (Pre-revised) [Revised PB-4 – ₹.37400-67000; Grade Pay-₹.8700/-], on deputation/re-employment basis – Regarding.**

It is proposed to fill up an existing vacancy of Director (Operation Monitoring) in the Ministry of Power on deputation/re-employment basis as per the details given at Annexure-I.

2. The pay of the officer selected will be regulated in accordance with the Department of Personnel & Training's O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay.II) dated the 17th June, 2010, as amended from time to time.

3. The applications of the interested and eligible officers, whose services can be spared immediately on selection, may please be forwarded, in the prescribed proforma (Annexure-II), **in triplicate**, along with the following information/documents to the Under Secretary (Admn.), Ministry of Power, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi, **within sixty days** from the date of publication of this vacancy circular in the Employment News -

- (i) Countersignature of the employer on the application;
- (ii) Up-to-date CR dossier/attested photocopies of ACRs/APARs of last five years;
- (iii) Vigilance clearance certificate;
- (iv) Integrity certificate (to be signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary);
- (v) Statement showing major/minor penalties, if any, imposed on the candidate during the last ten years (to be signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary).

4. The applications received after the last date or incomplete in any respect or those not accompanied by the requisite information/documents as mentioned in para-3 above will not be considered.

5. Officers who volunteer for the post will not be permitted to withdraw their names later.

(P P. Bose)
Under Secretary to the Government of India
☎: 2371 5327

To

1. All the Ministries/Departments (including their attached and subordinate offices) of the Government of India.
2. Chairperson, Central Electricity Authority, Sewa Bhawan, R.K.Puram, New Delhi.
3. Incharge, NIC Cell, Ministry of Power for uploading in the Ministry's website. It is requested that the Vacancy Circular may be kept in the web-site (with a flash) **till the end of January, 2015.**

Annexure-I

1.	Name of the post	:	Director (Operation Monitoring)
2.	Classification	:	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial)
3.	Scale of Pay	:	₹.14300-400-18300 (Pre-revised) [Revised PB-4 – ₹.37400-67000;Grade Pay-₹.8700/-]
4.	Method of recruitment	:	Deputation [For Armed Forces personnel Deputation/Re-employment]
5.	Eligibility	:	**Officers under the Central Government** : (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; **or** (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pre-revised scale of pay of Rs.12000-375-16500 [Revised PB-3 – ₹.15600-39100;Grade Pay- ₹.7600/-] or equivalent in the parent Cadre/ Department; **and** (b) Possessing the following educational qualification and experience: (i) Degree in Electrical Engineering from a recognized University or equivalent; and (ii) Ten years' experience in the monitoring of Power Grid Systems; **Desirable qualifications** :- (i) Post Graduate Degree in Electrical Engineering; (ii) Experience in fuel management of Thermal Power Stations.
6.	Re-employment -	:	The Armed forces personnel of the rank of Colonel or equivalent due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation term up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.
7.	Period of deputation	:	Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of application

Annexure-II

APPLICATION FORM FOR THE POST OF DIRECTOR (OM) IN THE MINISTRY OF POWER

1.	Name and Address in Block Letters	:	
2.	Date of Birth (in Christian Era)	:	
3.	Date of retirement under Central/State Govt. rules	:	
4.	Service/Cadre to which you belong	:	
5.	Educational Qualification	:	
6.	Whether Educational & other qualifications required for the post are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the authority for the same)	:	
	Qualifications/experience required		Qualifications/experience possessed by the Officer
	Essential (1) (2) (3) Desirable (1) (2)		
7.	Please state clearly whether in the light of entries made above by you, you meet the requirement of the post		
8.	Details of Employment, in Chronological order. Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.		

Office/Institute/ Organisation	Post held	From	To	Scale of pay	Nature of Duties

...P.T.O.

9.	Nature of present employment, i.e., adhoc or temporary or quasi permanent or permanent	:	
10.	In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state - a) The date of initial appointment b) Period of appointment on deputation / contract basis. c) Name of the parent office / organisation to which you belong	:	
11.	Additional details about present employment Please state whether working under a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organisation d) Government Undertaking e) University	:	
12.	Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or in the feeder to the feeder grade.	:	
13.	Are you in the revised scale of pay? If yes, give the date from which revision took place and also indicate the pre-revised scale.	:	
14.	Total emoluments per month now drawn	:	
15.	Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.	:	
16.	Whether belong to SC/ST	:	
17.	Remarks	:	

Date :

Countersigned :____________________
(Employer)

Signature of the Candidate

Address :

Office Seal :

सं. 2/4/2011-प्रशा.II
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष सं. 2371557; फैक्स सं. 23717519

दिनांकः 24 NOV 2014

विषयः प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के आधार पर रु. 14300-400-18300 (संशोधन पूर्व) [संशोधित वेतन बैंड-4 रु. 37400-67000; ग्रेड वेतन रु. 8700/-] के वेतनमान में विद्युत मंत्रालय में निदेशक (प्रचालन एवं निगरानी) के पद को भरा जाना।

अनुबंध-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के आधार पर विद्युत मंत्रालय में निदेशक (प्रचालन निगरानी) की वर्तमान रिक्ति को भरे जाने का प्रस्ताव है।

2. चयनित अधिकारी का वेतन, समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 17 जून, 2010 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

3. रूचि रखने वाले एवं पात्र अधिकारियों, जिन्हें चयन होने पर तत्काल छोड़ा जा सकता है, के आवेदन कृपया रोजगार समाचार में इस रिक्ति के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के भीतर अवर सचिव, (प्रशा.), विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को निम्नलिखित सूचना/दस्तावेजों के साथ तीन प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में(अनुबंध-II) अग्रेषित किए जाएं-

(i) आवेदन पर नियोक्ता के प्रतिहस्ताक्षर;

(ii) अद्यतन सीआर डोजियर/गत पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की सत्यापित फोटोप्रतियां;

(iii) सतर्कता स्वीकृति प्रमाण-पत्र;

(iv) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र (जो कि ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, जो उप सचिव के रैंक से कम का न हो);

(v) यदि उम्मीदवार पर पिछले दस वर्षों के दौरान कोई भारी/हल्का दण्ड लगाया गया हो तो उसे दर्शाते हुए विवरण (जो कि ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, जो उप सचिव के रैंक से कम का न हो)।

4. अंतिम तारीख से बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर या किसी भी प्रकार से अपूर्ण या जो उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित सूचना/दस्तावेजों के साथ नहीं है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. पदों के लिए स्वेच्छा से आने वाले अधिकारियों को बाद में अपना नाम वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी।

पी.पी. बोस

(पी.पी. बोस)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्याः 23715327

अनुबंध-I

1. पद का नाम : निदेशक (प्रचालन एवं निगरानी)

2. वर्गीकरण : सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'ए' राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)

3. वेतनमान : रु. 14300-400-18300 (संशोधन पूर्व)
[संशोधित वेतन बैंड-4 रु. 37400-67000; ग्रेड वेतन रु. 8700/-]

4. भर्ती की प्रक्रिया : (सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन)

5. पात्रता : **केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी**

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करने वाले; **अथवा**

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में 12000-375-16500 रुपए के संशोधन-पूर्व वेतनमान [संशोधित पीबी-3-रु. 15600-39100, ग्रेड वेतन रु. 7600/-] या समकक्ष में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा देने वाले; **और**

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव हो:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा उसके समकक्ष; और

(ii) विद्युत ग्रिड प्रणालियों की निगरानी में 10 वर्षों का अनुभव;

वांछनीय अर्हताएं :-

(i) वैद्युत अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिग्री;

(ii) ताप विद्युत स्टेशनों के ईंधन प्रबंधन में अनुभव।

6. पुनर्नियोजन : सशस्त्र बलों के कर्नल अथवा उसके समकक्ष रैंक के कार्मिक, जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व के लिए स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव एवं निर्धारित अर्हताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र बलों से कार्यमुक्ति की तारीख तक प्रतिनुय्कित पर रखा जाएगा और जिसके पश्चात वे पुनर्नियोजन पर कार्य जारी रख सकेंगे।

7. प्रतिनियुक्ति की अवधि : केंद्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से पूर्व तत्काल धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति पाने के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

अनुबंध-II

विद्युत मंत्रालय में निदेशक (प्रचालन निगरानी) के पद हेतु आवेदन-पत्र

1.	नाम एवं पता स्पष्ट अक्षरों में	:	
2.	जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)	:	
3.	केंद्र/राज्य सरकारी नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि	:	
4.	सेवा/संवर्ग जिससे आप संबंधित हैं	:	
5.	शैक्षिक अर्हता	:	
6.	क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं (यदि कोई अर्हता नियमों में उल्लिखित योग्यता के समकक्ष मानी गई हैं तो इसके प्राधिकारी का विवरण दें)	:	
	अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव		अधिकारी की अर्हताएं/अनुभव
	अनिवार्य (1) (2) (3) वांछनीय (1) (2) (3)		
7.	कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों के परिप्रेक्ष्य में आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं		
8.	कालक्रमानुसार रोजगार का ब्यौरे। यदि नीचे दिया गया स्थान कम है, तो अपने हस्ताक्षर से विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित एक कागत अलग से संलग्न करें।		

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान	कार्य का स्वरूप

9.	वर्तमान रोजगार का स्वरूप अर्थात तदर्थ अथवा अस्थायी, अथवा अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी		
10.	वर्तमान रोजगार यदि प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो, कृपया बताएं (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख (ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर नियुक्ति की अवधि (ग) आप जिस मूल कार्यालय/संगठन से संबंधित है, उसका नाम		
11.	वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरा कृपया बताएं कि क्या (क) केंद्र सरकार (ख) रांज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय		
12.	कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्य कर रहे हैं तथा फीडर ग्रेड में हैं अथवा फीडर से फीडर ग्रेड में हैं।		
13.	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो संशोधन लागू होने की तारीख बताएं और पूर्वसंशोधित वेतनमान का भी उल्लेख करें।		
14.	इस समय प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां		
15.	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका उल्लेख आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में करना चाहते हों। यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग से एक कागज संलग्न करें।		
16.	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं?		
17.	टिप्पणियां		

दिनांक :

प्रतिहस्ताक्षरितः .... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नियोक्ता)

पताः

कार्यालय की मुहर